तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मुकदमा नम्बर – 35 / 2018	
07/03/22	आज पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित अवलोकन किया गया दिनांक 28.03.2018 को एक पक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थीगण को समन जारी किये गए। अप्रार्थी 1 व 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किये । बहस उभय पक्ष सुनी गई। सर्व प्रथम प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री नेतराम सियाग ने बहस आरंभ करते हुए कथन किया कि वादगत भूमि रोही सुरजपुरा के खसरा नम्बर 204 / 12 में 20.05 बीघा, खसरा नम्बर 205 / 17 में 4.15 बीघा कुल 25 बीघा मौजा रोही रामबाग के खसरा नम्बर 142 मे 16.04 बीघा, खेत खसरा नम्बर 234 / 112 में 25 बीघा कुल 41.04 बीघा प्रार्थीगण के ससुर व दादा अप्रार्थी संख्या 1 के पिता चन्दूराम पुत्र लिछमणराम के नाम से खातेदारी भूमि थी ग्राम रोही रामबाग के खसरा नम्बर 144 / 1 तादादी 10.12 बीघा खसरा नम्बर 260 / 139 में 25 बीघा कुल 35.12 बीघा संयुक्त खातेदारी भूमि थी। जिसमे चन्दूराम 1 / 3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज था इसी ग्राम के खेत खसरा नम्बर 110 मे 19.19 बीघा खसरा नम्बर140 मे 32.05 बीघा खसरा नम्ब्र 141 में 8. 07 बीघा कुल 60.11 बीघा संयुक्त खातेदारी भूमि थी। जिसमें चन्दूराम का 1 / 6 हिस्सादर्ज रिकार्ड था। दादा ससुर के स्वर्गवास होने के पश्चात विरास्तन ईन्तकाल संख्या 151,352,353,354 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ। जिसमे वारिसान की जांच किये बिनाकेवल भंवरलाल के नाम दर्ज कर दिया गया हैं। प्रार्थीगण ने वादगत भूमि के बाबत दावा घोषणा तक चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश किया हुवा है जिसमे कामयाबी की पूर्ण उम्मीद हैं। वादगत भूमि पैतृक है जिसमें प्रार्थीगण का हक निहित हैं। अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में भूमि को खुर्द बुर्द करने की पूर्ण संभावना है तथा भूमि रहन बेय कर दिये जाने से प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति संभावित हैं। प्रार्थना पत्र में सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा प्रकरण में प्रार्थीगण के पक्ष में टीआई कन्फर्म करने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थीगण की बहस के प्रत्युत्तर में वकील अप्रार्थीगण का कथन है कि सावित्री किशन कालू वारिसान है अथवा नहीं इस सम्बन्ध में लिखित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं। वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार किया तथा मय कॉस्ट खारिज करने का निवदेन किया । बहस का मनन किया गया वादगत भूमि पैतृक है जिसमें प्रथम दृष्टतया प्रार्थीगण के पक्ष का प्रतीत होता हैं। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष का है। अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति संभावित हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता हैं तथा अप्रार्थीगण को इस आदेश के जरिये पाबन्द किया जाता हैं कि वाद के निर्णय तक वादगत भूमि वाके रोही सुरजपुरा के खसरा नम्बर 204 / 12 में 20.05 बीघा, खसरा नम्बर 205 / 17 में 4.15 बीघा कुल 25 बीघा मौजा रोही रामबाग के खसरा नम्बर 142 में 16.04 बीघा, खेत खसरा नम्बर 234 / 112 में 25 बीघा कुल 41.04 बीघा प्रार्थीगण के ससुर व दादा अप्रार्थी संख्या 1 के पिता चन्दूराम पुत्र लिछमणराम के नाम से खातेदारी भूमि थी ग्राम रोही रामबाग के खसरा नम्बर 144 / 1 तादादी 10.12 बीघा खसरा नम्बर 260 / 139 में 25 बीघा कुल 35.12 बीघा संयुक्त खातेदारी भूमि थी। जिसमे चन्दूराम 1 / 3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज था इसी ग्राम के खेत खसरा नम्बर 110 में 19.19 बीघा खसरा नम्बर140 में 32.05 बीघा खसरा नम्बर 141 में 8. 07 बीघा कुल 60.11 बीघा संयुक्त खातेदारी भूमि थी। जिसमें चन्दूराम का 1 / 6 हिस्सादर्ज रिकार्ड था उक्त भूमि में वाद के निर्णय तक रहन बैय आदि नहीं करे रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे दिनांक 28.03.2018 को जारी एकपक्षीय निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाता हैं। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्त्तर हो। (अशोक कुमार) उपखण्ड अधिकारी लूणकरनसर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok K
Date: 2022.06.20 15:48:35
Reason: SelfAttested